रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2006.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 15 दिसम्बर, 2006/24 अग्रहायण, 1928

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पिति स्थित केलंग (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

केलंग, 31 अक्तूबर, 2006

संख्या 3378-86. -हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, प्रेम तान्टा, जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल-स्पिति स्थित केलंग कुमारी केसंग लामों. प्रधान, ग्राम पंचायत, डैमलू, विकास खण्ड स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति द्वारा प्रधान पद से दिए गए त्याग-पत्र को स्वीकार करता हूं तथा प्रधान, ग्राम पंचायत डैमूल, विकास खण्ड स्पिति, जिला लाहौल-स्पिति के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

प्रेम तान्टा,
जिला पंचायत अधिकारी,
लाहौल-स्पिति स्थित केलंग,
हिमाचल प्रदेश ।

2526-राजपत्र/2006-15-12-2006--1,437. (8071) मूल्य : 1 रुपया ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्वा (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

चम्बा, 1 नवम्बर, 2006

संख्या पंच चम्बा ए (16)-II.--चूंकि श्री किशोरी लाल, सदस्य, ग्राम पंचायत पियूहरा, वार्ड नं0 4, डुमाला, विकास खण्ड मैहला जिला चम्बा का चयन एल0 एल0 सी में होने के कारण उक्त पदाधिकारी ने पंचायत सदस्य के पद से दिनांक 23-8-2006 को अपना त्याग-पत्र दे दिया है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, मैहला ने अपने पत्र संख्या 2787, दिनांक 13-10-2006 के अन्तर्गत करते हुए त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सफारिश की है ।

अतः मैं, उत्तम सिंह वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा (सामान्य) नियम, 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री किशोरी लाल, ग्राम पंचायत पियूहरा, वार्ड नं0 4 (डुमाला), विकास खण्ड मैहला जिला चम्बा (हि0 प्र0) का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

———

चम्बा-176310, 24 नवम्बर, 2006

संख्या पंच चम्वा ए(16) 11-1510-16. –चूंकि श्रीमती कौला देवी, वार्ड पंच (वार्ड नं0 5, सुक्रेठी), ग्राम पंचायत लेच, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा ने घरेलू परिस्थिति के कारण वार्ड पंच के पद से दिनांक 22-4-2006 को अपना त्याग-पत्र दे दिया है । जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी मैहला, ने अपने पत्र संख्या 3005, दिनांक 27-10-2006 के अन्तर्गत करते हुए त्याग-पत्र को स्वीकार करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, उत्तम सिंह वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा (सामान्य) नियम, 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती कौला देवी, वार्ड पंच (वार्ड नं0 5, सुक्रेठी), विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

———

चम्बा-176310, 25 नवम्बर, 2006

संख्या पंच चम्वा ए(16) 11-1533-39.--चूंकि श्री सोरमा राम, वार्ड पंच (वार्ड नं0 6, मझाटा), ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा ने आई0 पी0 एच0 विभाग में नियुक्ति होने के कारण वार्ड पंच के पद में अपना त्याग-पत्र दे दिया है जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, मैहला ने अपने पत्र संख्या 2612 दिनांक 28-9-2006 के अन्तर्गत करते हुए त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, उत्तम सिंह वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा (सामान्य) नियम, 135 के अन्तर्गत प्राप्त ह, श्री सोरमा राम, वार्ड पंच, ग्राम पंचायत सुनारा, विकास खण्ड मैहला, हिमाचल प्रदेश का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

चम्बा-176310, 25 नवम्बर, 2006

संख्या पंच चम्बा-ए (16) 11-1526-32.—चूंकि श्री चैन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत दियोला, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा ने कनिष्ट अध्यापक के पद पर नियुक्ति होने के कारण प्रधान पद से दिनांक 2-10-2006 को अपना त्याग-पत्र दे दिया है । जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी, तीसा ने अपने पत्र संख्या 2538, दिनांक 31-10-2006 के अन्तर्गत करते हुए त्याग-पत्र को स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, उत्तम सिंह वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा (सामान्य) नियम, 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्री चैन लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत दियोला, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

उत्तम सिंह वर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

———

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 28 नवम्बर, 2006

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (रिक्त पद) 8/2003-7181-85.—यह कि श्रीमती गोदा देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत शिवान (वार्ड नं0 4) ने घरेलू परिस्थितियों के कारण दिनांक 28-9-2006 को ग्राम पंचायत, शिवान के सदस्य पद से त्याग-पत्र दिया है। श्रीमती गोदा देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत शिवान के त्याग-पत्र को खण्ड विकास अधिकारी, नारकण्डा ने स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, जोगिन्द्र कुमार शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(1) तथा हिमाचल प्रदेश (सामान्य) नियम के नियम 135 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती गोदा देवी, सदस्य, ग्राम पंचायत शिवान के त्याग-पत्र को स्वीकार करता हूं।

जोगिन्द्र कुमार शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
शिमला, जिला शिमला ।

———

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कारण बताओ नोटिस

धर्मशाला, 29 नवम्बर, 2006

संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई-3449-52.—श्रीमती शिवानी देवी, निवासी ग्राम पंचायत टकोली घिरथां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा द्वारा शिकायत की थी कि श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान, ग्राम पंचायत टकोली

घिरथां, विकास खण्ड फतेहपुर द्वारा सरकारी भूमि पर नजायज कब्जा किया हुआ है । मामले की जांच तहसीलदार, फतेहपुर द्वारा उप-मण्डल अधिकारी (ना0) ज्वाली के माध्यम से की गई जिसकी रिपोर्ट उनके पत्र संख्या 376/रोडर-II, दिनांक 12-9-2006 के अन्तर्गत इस कार्यालय में प्राप्त हुई है । जांच रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि सरकारी भूमि स्थित खसरा नं0 34, 35, 36 व 38 पर प्रधान ग्राम पंचायत टकोली घिरथां के पति श्री मलकीयत सिंह का अवैध कब्जा वर्ष 1975-76 से बतौर गैर मरूसी दर्ज है ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के अनुसार श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान, ग्राम पंचायत टकोली घिरथां का प्रधान पद पर बने रहना जनहित में नहीं है ।

अतः मैं भरत खेड़ा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, कांगड़ा, स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(1) (क) के अन्तर्गत श्रीमती परमजीत कौर, प्रधान ग्राम पंचायत टकोली घिरथां, विकास खण्ड फतेहपुर को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं कि क्यों न उपरोक्त अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत आपको पंचायत प्रधान पद से अयोग्य घोषित किया जाये । आपका उत्तर इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये अन्यथा मामले में आगामी कार्यवाही हेतु यह कार्यालय विवश होगा ।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित